

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

निगम कार्यालय - अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची-4

अधिसूचना संख्या ...344.....

दिनांक 24.03.12

सूचना / 1074 / 2014

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-6376 दिनांक 13.12.2012 को संशोधित करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की कंडिका-5 (i), 5 (ii) एवं 19 (i) के तहत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची मुख्यालय के अन्तर्गत, सहायक जन सूचना पदाधिकारी/ जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी निम्न प्रकार से नामित किये जाते हैं :-

सहायक जन सूचना पदाधिकारी

1. सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता
2. वरीय प्रबंधक (वित्त/लेखा)
3. वरीय प्रबंधक (कार्मिक)
4. अवर सचिव
5. प्रशासी पदाधिकारी

क्र० सं०	जन सूचना पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी
1.	मुख्य अभियंता (आपूर्ति एवं वितरण)	अभियंता प्रमुख
2.	मुख्य अभियंता (क्रय एवं भंडार)	
3.	मुख्य अभियंता (ग्रामीण विद्युतीकरण)	
4.	मुख्य अभियंता (योजना एवं तकनीकी अंकेक्षण)	
5.	मुख्य अभियंता (ए०पी०डी०आर०पी०)	
6.	महाप्रबंधक (आर०-ए०पी०डी०आर०पी०)	
7.	मुख्य अभियंता (निरीक्षण)	
8.	मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं राजस्व)	
9.	विद्युत अधीक्षण अभियंता (ए०पी०टी०)	
10.	मुख्य अभियंता (असैनिक)	
11.	उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	वित्त नियंत्रक-II
12.	संयुक्त सचिव	महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन)
13.	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)	
14.	विधि पदाधिकारी	वरीय विधि परामर्शी-सह-अपर सचिव

(डी० के० सिंह)

संयुक्त सचिव-सह जन सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक 345 / राँची

दिनांक 24.03.15

प्रतिलिपि :अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची / प्रबंध निदेशक के तकनीकी सचिव, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची / प्रबंध निदेशक के निजी सहायक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक (प्रोजेक्ट एवं पी०आर०) निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक (प्रोजेक्ट) के तकनीकी सचिव, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची / आरक्षी महानिरीक्षक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक / महाप्रबंधक (कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन) के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

24/3/15
(डी० के० सिंह)

संयुक्त सचिव-सह-जन सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक 345 / राँची

दिनांक 24.03.15

प्रतिलिपि सभी अभियंता प्रमुख / सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र / सभी मुख्य अभियंता / मुख्य अभियंता (असैनिक) / आवासीय अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, दिल्ली / वरीय अभियंता परामर्शी-सह-अपर सचिव / सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल / सभी वित्त नियंत्रक / निदेशक जन सम्पर्क / (उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / उप महाप्रबंधक (कार्मिक) / सभी संयुक्त सचिव / सभी अवर सचिव / सभी वरीय प्रबंधक (कार्मिक) / सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता / सभी सहायक विद्युत अभियंता / सभी लेखा पदाधिकारी / सभी प्रशासी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / सभी श्रम कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० / झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15
(डी० के० सिंह)

संयुक्त सचिव-सह-जन सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक 345 / राँची

दिनांक 24.03.15

प्रतिलिपि निदेशक जन सम्पर्क, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची / झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
उनसे अनुरोध है कि इसकी वृहत प्रकाशन की व्यवस्था की जाय।

24/3/15
(डी० के० सिंह)

संयुक्त सचिव-सह-जन सूचना पदाधिकारी

JHARKHAND STATE ELECTRICITY BOARD

Engineering Building, H.E.C, Dhurwa, Ranchi - 4

Notification No. 1613

Date 05.04.07

In Supersession of Notification no. 5658 and 5660 Dtd. 20.10.05, the following officers of Jharkhand State Electricity Board are designated as Public Information Officer (PIO), Assistant Public Information Officer (APIO) and Appellate Authority, to provide information under section: 5 (1), 5 (2) and 19 (1) of "The Right To Information Act 2005" in the manner indicated below:-

Assistant Public Information Officer (APIO)

1. All Concerned Assistant Electrical Engineer (Supply / Transmission)

Public Information Officer (PIO)

1. All Concerned Electrical Executive Engineer (Supply / Transmission)
2. All Concerned Electrical Superintending Engineer (Supply / Transmission)
3. Project Manager (TRW)

Appellate Authority

1. All Concerned General Manger-cum-Chief Engineer of Electric Supply Area / Transmission Zone.

Memo No. 1614

Secretary
Dated 05.04.07

Copy to All GM-cum-Chief Engineer, Electric Supply Area / Transmission Zone for information. As per the provision under Right to Information Act 2005, The Name, Designation and Photo Number of Assistant Public Information Officer (APIO), Public Information Officer (PIO) and Appellate Authority are required to be notified on the notice board of the Offices of each Divisions/ Circles/ Electric Supply Areas/ Transmission Zones.

Memo No. 1614

Secretary
Dated 05.04.07

Copy forwarded to All APIO, All PIO and Appellate Authority for information.

Memo No. 1614

Secretary
Dated 05.04.07

Copy forwarded TS to Chairman /PA to Member (Rev.) TS to Member (Tech.)/PA to Secretary/PA to IG (Vigilance & Security) J.S.E.B for information and necessary action.

Memo No. 1614

Secretary
Dated 05.04.07

Copy forwarded to all Chief Engineer /Sr. Law Advisor-cum-Additional Secretary/Additional Secretary/All ESE /All JS/All Director/DDR/All EEE/All Deputy Director /All Under Secretary/All AO/All AEE/All PO/All ADO/All SO JSEB for information and necessary action.

Secretary